उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 26.12.05 को एफ0आर0डी0सी0 सभागार में सम्पन्न हुई छठी बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण की छठी बैठक दिनांक 26.12.05 को पूर्वाह्न 12.00 बजे वन एवं ग्राम्य विकास, सभागार में सम्पन्न हुई। बोर्ड की अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गयी। निम्नलिखित सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गयाः—

1. श्रीमती विभा पुरी दास, अध्यक्ष महोदया, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून।
2. डा0 रणवीर सिंह, सदस्य सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. श्री के0 एल0 आर्य, अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल ।
4. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्टिस एसोसियशन उत्तराचंल ।
5. श्री हर्षवर्धन मिश्रा, अधिशासी अधिकारी, हरिद्वार ।
6. श्रीमती ऊषा चौधरी, अध्यक्षा, नगर पालिका परिषद्, काशीपुर।
7. श्री अरविन्द कुमार, सदस्य, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
8. श्री अनुराग वर्मा, सदस्य, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
9. श्री चमन राम, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यों का स्वागत किया गया तथा परिचय प्राप्त किया गया । तदोपरान्त बैठक की कार्यसूची के अनुसार निम्न निर्णय लिये गये :—

कार्य सूची संख्या— 6.1 पांचवी बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

बोर्ड की पांचवी बैठक दिनांक 22.01.2005 को सम्पन्न हुई थी जिसका कार्यवृत्त बोर्ड के पत्र संख्याः यू.ई.पी.पी.सी.बी./एच.ओ./पांचवी बोर्ड बैठक/05/3232 दिनॉक 07.02.05 द्वारा सभी बोर्ड सदस्यों को इस आशय के साथ प्रेषित किया गया था कि सदस्यों की ओर से कार्यवृत्त में कोई संशोधन वांछित है तो वह अपने टिप्पणी बोर्ड को प्रेषित करें। **बोर्ड सदस्यों की ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त न होने के कारण पॉचवी बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित माना गया।**

कार्य सूची संख्या — 6.2 पांचवी बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या ।

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। दूनघाटी में डी0जी0 सैट की स्थापना पर प्रतिबन्ध के सम्बध में अध्यक्षा महोदया द्वारा कहा गया कि इस प्रकरण पर भारत सरकार से यह जानकारी ले ली जाये कि किस तरह के डी0जी0 सैट दूनघाटी में लगाये जायें तथा भारतीय उद्योग संगठन उत्तरांचल द्वारा भी इस प्रकरण पर भारत सरकार से पत्राचार किया जाये । अध्यक्षा महोदया द्वारा चाहा गया कि दिनांक 15/01/06 तक परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु टी0एस0डी0एफ0 बनाने के लिये जगह का चुनाव कर जी0टी0जेड0/भारत सरकार को सूचित कर दिया जाये तथा उक्त जगह की

...

टैक्नोफिजीएबीलिटी के लिये कार्य प्रराम्भ कर दिया जाये। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि रूड़की के पास इस प्रयोजन हेतु वन भूमि प्राप्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अध्यक्षा महोदया, द्वारा बोर्ड मुख्यालय के भवन निर्माण हेतु वन विभाग द्वारा भी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया ।

<u>कार्य सूची संख्या– 6.3 बोर्ड के संशोधित ढांचे के सम्न्ध में ।</u>

बोर्ड के पत्रांक यूईपीपीसीबी/एचओ0/बोर्ड बैठक/05/ 117 /1264 दिनांक 23.11.05 द्वारा बोर्ड का संशोधित 98 पदों का ढॉचा सभी बोर्ड सदस्यों को परिचक्रण एजेन्डा के रूप में प्रेषित किया गया था तथा अंतिम दिनांक 28/11/05 के पश्चात् दिनॉक 02/12/05 को उक्त ढॉचा शासन के स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है । उक्त ढॉचें को बोर्ड सदस्यों द्वारा अवलोकित किया गया।

<u>कार्य सूची संख्या– 6.4 उद्योगो को एक साथ दो वर्ष हेतु सहमति निर्गत करने के सम्बन्ध में</u>

प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि दूनघाटी को छोडकर अन्य सभी क्षेत्रों में हरी श्रेणी के उद्योगों को तीन वर्ष का शुल्क जमा करने के उपरान्त तीन वर्ष हेतु एक साथ सहमति निर्गत की जाये तथा इन हरी श्रेणी के उद्योगों द्वारा प्रत्येक वर्ष एक स्वप्रमाणित (Self Certified) शपथ पत्र देना होगा कि वे समस्त मानकों का पालन कर रहें है, तथा जिसमें उनके द्वारा जल/वायु सहमति के प्राविधानों का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी घोषणा की जायेगी एवं यह शपथ पत्र उद्योग विभाग द्वारा पंजीकृत किसी भी उद्योग संघ से प्रमाणित (Certified)/ प्रति हस्ताक्षरित (Counter **Signed**) करना होगा। किसी भी नियम के उल्लंघन की दशा में उद्योग पर कड़े आर्थिक दण्ड लगाये जायेंगे।

<u>कार्य सूची संख्या– 6.5 उद्योगों के अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति शुल्क के पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में ।</u>

प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि उक्त कार्य सूची में दी गयी शुल्क दरें वर्ष 2006 एवं अग्रेतर मात्र लाल एवं संतरी श्रेणी के उद्योगों पर लागू होगी जबकि हरी श्रेणी के उद्योगों के सहमति शुल्क के सम्बन्ध में सुविचारित प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाये। शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :–

S.No.	Classification (Capital Investment)	Initial Fee (Rs.)	Renewal Fee
1	All projects above Rs. 10000 Crore	10,00,000	7,50,000
2	More than 5000 Crore and Up to 10,000 Crore	7,50,000	500,000
3	More than 1000 Crore and Up to 5,000 Crore	500,000	400,000
4	More than 600 Crore and Up to 1,000 Crore	400,000	2,50,000
5	More than 300 Crore and Up to 600 Crore	2,50,000	1,50,000
6	More than 100 Crore and Up to 300 Crore	1,50,000	1,00,000

7	More than 50 Crore and Up to 100 Crore	1,00,000	75,000
8	More than 5 Crore and Up to 50 Crore	75,000	50,000
9	More than 01 Crore and Up to 05 Crore	50,000	25,000
10	More than 50 lakh and Up to 01 Crore	25,000	15000
11	More than 10 lakh and Up to 50 lakh	15,000	10,000
12	Miimum Fee	10,000	5000

कार्य सूची संख्या 6.6 बोर्ड के अधिकारियों के प्राधिकार निर्धारण के सम्बन्ध में ।

बोर्ड के अधिकारियों के प्राधिकार निम्नानुसार स्वीकृत किये गये ।

(अ) जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति तथा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 1989 के अन्तर्गत प्राधिकार निर्गमन

1.	17 श्रेणी के लाल श्रेणी के उद्योगों के अनापत्ति प्रमाण पत्र।	अध्यक्ष
2	उपरोक्त क्रमांक 1 के अतिरिक्त लाल श्रेणी के उद्योगों के अनापत्ति प्रमाण पत्र। 17 श्रेणी के उद्योगों की जल व वायु सहमति। संतरी श्रेणी के उद्योगों के अनापत्ति प्रमाण पत्र लाल श्रेणी के उद्योगों की जल व वायु सहमति। दून वैली के अन्तर्गत सभी हरी श्रेणी के उद्योगो को अनापत्ति तथा जल/वायु सहमति सभी उद्योगो के परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्राधिकार।	सदस्य सचिव
3.	संतरी श्रेणी के उद्योगो के जल/वायु सहमति। दून वैली को छोडकर सभी हरी श्रेणी के उद्योगो के अनापत्ति प्रमाण पत्र।	मुख्य पर्यावरण अधिकारी
4.	दून वैली को छोडकर हरी श्रेणी के उद्योगों की जल/वायु सहमति	क्षेत्रीय अधिकारी

(ब) जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के अंतर्गत प्राधिकार

1.	500 शय्याओं से अधिक के अस्पताल (Category I)	सदस्य सचिव
2.	200 से 500 शय्याओं के अस्पताल (Category II)	मुख्य पर्यावरण अधिकारी
3.	50 से 200 शय्याओं के अस्पताल (Category III)	मुख्य पर्यावरण अधिकारी
4.	50 से कम शय्याओं के अस्पताल (Category IV)	क्षेत्रीय अधिकारी

(स) अध्यक्षा महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि बोर्ड सदस्य अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत एक टीम का गठन कर अपने क्षेत्र में जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम एवं नगरीय ठोश अपशिष्ट नियम के अनुपालन की त्रैमासिक आख्या बोर्ड में प्रस्तुत करें ।

कार्य सूची संख्या 6.7 बोर्ड द्वारा जल व वायु सहमति एवं प्राधिकार कैलेन्डर वर्ष के बजाय वित्तीय वर्ष हेतु निर्गत किया जाना।

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

कार्य सूची संख्या 6.8 बोर्ड कार्मिकों पर ई0पी0एफ लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

कार्य सूची संख्या 6.9 पूर्व में स्थगित छठी बोर्ड बैठक के कार्य सूची संख्या 6.8 पर विचार विमर्श किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव पर बोर्ड सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई।

अन्त में बैठक के अध्यक्षा महोदया की स्वीकृति से सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्य महानुभावों का बैठक में भाग लेने एवं अपने विचार रखने हेतु धन्यवाद प्रस्तुत किया गया।

(रणवीर सिंह)
सदस्य सचिव
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून

(विभा पुरी दास)
अध्यक्षा
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून